माननीय पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4525/2022

= = = =

- कोई भी वाहन, यदि वह अन्य राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति पत्र के तहत बिहार में उपयोग के लिए रखा गया है, तो उस पर भी कराधान अधिनियम के तहत कर देना आवश्यक है।
- कर, जैसा कि सामान्य है, कोई प्रतिदान आधारित नहीं होता और राष्ट्रीय लॉकडाउन या राज्य सरकार का आदेश कि स्कूलों को पुनः खोला न जाए, इस प्रकार के आदेश से वाहन के सड़कों पर उपयोग पर प्रतिबंध होने से कराधान अधिनियम के तहत जिम्मेदारी से छूट नहीं मिलती।
- स्कूल बसों को कर से छूट देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे राज्य सरकार ने अपनी समझ के अनुसार मंजूरी नहीं दी है।

- ग्रीन टैक्स:
  - ग्रीन टैक्स उन पंजीकृत परिवहन वाहनों पर भी लागू होता है, जो 20 वर्ष से पुराने होते हैं, क्योंकि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह लगाया जाता है।
  - केवल इस कारण से कि यह एक स्कूल बस है या बच्चों को घर से स्कूल ले जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पर्यावरणीय नुकसान को कम करेगा।
  - यह यात्रियों की स्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंजन की स्थिति पर आधारित है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है, और ग्रीन टैक्स इसे 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करें' के सिद्धांत पर लागू किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= = = =

या उपयोग के लिए रखने पर कराधान अधिनियम के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है। इसलिए, वाहन का उपयोग स्वयं कर लगाने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है।

4. इसके अलावा, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 21.03.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि में देशव्यापी लॉकडाउन था, जिस दौरान याचिकाकर्ता को 40 प्रतिशत छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता कराधान अधिनियम की धारा 15 के तहत लगाए जाने वाले कर में आंशिक छूट के लिए जारी लाभकारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि वास्तव में पूरी छूट दी जानी चाहिए थी, जो कि सरकार की नीति है। कर, जैसा कि प्रचलित है, प्रतिदान पर आधारित नहीं है और राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने या राज्य द्वारा स्कूलों को फिर से न खोलने का आदेश देने से, इस प्रकार सड़क पर वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने से कराधान अधिनियम के तहत देयता समाप्त नहीं होगी। खासकर तब जब कराधान अधिनियम में ऐसी स्थितियों और तरीकों पर विचार किया गया है जिनके द्वारा ऐसी छूट दी जा सकती है, वह भी पंजीकृत मालिक द्वारा किए गए आवेदन पर; जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

5. एक और तर्क यह उठाया गया है कि स्कूल बसों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। स्कूल बसों को टैक्स से छूट देना फिर से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे उसने अपने विवेक से नहीं दिया है। ग्रीन टैक्स उन पंजीकृत परिवहन वाहनों के लिए भी है जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं; पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ़ इसलिए कि यह एक स्कूल बस है या यह बच्चों को घर से स्कूल ले जाती है, इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कोई कमी नहीं आएगी। यात्रियों की स्थिति नहीं बल्कि इंजन की स्थिति पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, जिसे 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है' के सिद्धांत पर ग्रीन टैक्स लगाकर कम करने की कोशिश की गई है। याचिकाकर्ता को इस तरह की परेशानी से बचने के लिए बच्चो के परिवहन के वाहन खरीदने की सलाह दी जाएगी, जो स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

6. हम रिट याचिका पर विचार करते हुए उसे खारिज करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायाधीश)

पी. के. पी/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।